न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 93/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011/00031

उनवान

1. मंजूदेवी वेवा केहरी जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. कुमारी पूनम पुत्री केहरी } नाबालिगान मॉ जरिये मंजू देवी वेवा केहरी जाति जाटव
3. शिवा पुत्र केहरी } नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेन्द्र पाल पुत्र नवीरा बाबा दौजी जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. सुखदेव पुत्र दौजी जाति जाट व निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. घसीडा पुत्र रामोली जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर(मृतक)
4. रामखिलाडी पुत्र खरगा जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. फगुनी पुत्र खरगा जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास (मृतक)
   - 5/1. रामकली पत्नी फगुनी
   - 5/2. बहादुर
   - 5/3. सूसो } पुत्र फगुनी जाति जाटव नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
   - 5/4. संजय
   - 5/5. मदनमोहन
   - 5/6. मोहनवती पुत्री फगुनी
   - 5/7. गीता पुत्री फगुनी
6. प्यारे } पुत्र खरगा जाति जाटव नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
7. शंकर
8. किशन सिंह
9. रोशन पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर(मृतक)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9/1. अजही पत्नी रोशन
9/2. रामरतन पुत्र रोशन
9/3. गूंगा पुत्र रोशन
9/4. चरन सिंह पुत्र रोशन
9/5. दलवीर पुत्र रोशन
9/6. ताराचंद पुत्र रोशन
} जाति जाटव नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर

9/7. बन्टू
9/8. मन्जू
} पिस0 रोशन जाति जाटव नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

10. रामखिलाडी पुत्र नेकसिया जाति जाटव निवासी सिर्रोंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

10/1. सूरजमुखी पत्नी रामखिलाडी
10/2. मुरारी पुत्र रामखिलाडी
} जाति जाटव नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

11. रोशन पुत्र दौजी
12. सफेदी देवी पत्नी गंगाराम
} जाति जाटव नि0 सिर्रोंद तह0 रूपवास जिला भरतपुर

13. श्रीमान् मैनेजर एसबीबीजे शाखा महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
14. श्रीमान् मैनेजर भूमि विकास बैंक रूपवास जिला भरतपुर।
15. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 14.09.2011 प्र.सं. 174/06 उनवानी महेन्द्रपाल बनाम मंजू देवी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री भूपेन्द्र सिंह अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वास्ते विभाजन काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिर्रोंद तहसील रूपवास, वादी/रैस्पो0 एंव प्रतिवादी/अपीलाण्ट की संयुक्त कब्जे काश्त की व खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट सम्मिलित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट के पति व पिता केहरी की मृत्यू हो जाने के पश्चात् उनके मन में बेईमानी आ गयी है एवं अपने पिता के बहकावे में आकर विवादित आराजीजात को बिना विभाजन कराये विक्रय करना चाहती है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आयें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिजी है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पति व पिता केहरी रैस्पो0 01 के साथ 1/3 हिस्सा में सहखातेदार काश्तकार था। सभी सहखातेदारान का इंच–इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है। फिर भी विवादित आराजी मुतनाजा पर रैस्पो0 संख्या 01 का कब्जा मानने में लायक अदालत तहत ने कानूनी भूल की है। रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा मौखिक रूप से यह कह देने कि मृतक केहरी का इलाज उसने कराया था तथा मृतक केहरी ने अपनी जमीन उसे दे दी थी कतई गलत अंकित किया है। मृतक केहरी की मृत्यु के बाद ही उसकी समस्त सम्पत्ति व आराजी मुतनाजा पर उसकी पत्नी अपीलाण्ट व उसके दोनों बच्चो ने मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अधिकार प्राप्त कर लिया था तथा वह मृतक केहरी की समस्त सम्पत्ति के मालिक हो गये थे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई नोटिस या सम्मन जारी नहीं किये गये हैं एवं अपीलाण्ट की बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवदेन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रैस्पो0 के मौखिक कथनो पर विश्वास करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। केवल दावें में उल्लेख एवं मौखिक कथन के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं, जब तक इन्हें किसी प्रमाणिक साक्ष्य से गलत साबित नहीं कर देते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट, श्रीमती मंजूदेवी किसी ओर को खालिन्दा हो चुकी है एवं श्रीमती मंजू देवी के पति केहरी की बीमारी का खर्चा रैस्पो0 ने उठाया था एवं स्व0 केहरी ने अपने हिस्से की आराजी को रैस्पो0 को कब्जा संभला दिया हो। अतः अपीलाण्ट का किसी ओर व्यक्ति को खालिन्दा हो जाने एवं मृतक केहरी द्वारा अपने हिस्से की आराजी रैस्पो0 को दिये जाने का मौखिक कथन, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रभावहीन है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा वास्ते विभाजन काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावे के अनुतोष से बाहर जाकर, रैस्पो0 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, मृतक केहरी के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने की गंभीर कानूनी त्रुटि की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2011 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये, पुनः विधिसम्मत तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर